

बिहार सरकार
उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना

सेवा में,

महालेखाकार (ले0 एवं ह0),
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक

विषय:- औद्योगिक प्रोत्साहन नीति, 2011 के अंतर्गत विभिन्न औद्योगिक ईकाइयों को ₹ 3,13,03,540/- (कुल तीन करोड़ तेरह लाख तीन हजार पाँच सौ चालीस रूपए मात्र) के अनुदान के राशि की निकासी एवं भुगतान की स्वीकृति।
आदेश:- स्वीकृत।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि औद्योगिक प्रो0 नीति, 2011 के अंतर्गत राज्य स्तरीय समिति के द्वारा दिनांक-02.11.2016 की बैठक में लिए गए निर्णय तदनुसार बैठक की कार्यवाही ज्ञापांक-4034 दिनांक-08.11.2016 के आलोक में निम्नांकित औद्योगिक ईकाइयों को उनके नाम के सामने अंकित विवरण के अनुसार डी0जी0सेट/कैप्टिभ पावर प्लांट अनुदान की स्वीकृति निम्न शर्तों के साथ प्रदान की जाती है:-

क्रमांक	ईकाई का नाम/ पता	अनुदान की राशि
1	सर्वश्री मंगलदीप राईस मिल प्रा0 लि0, यूनिट नं0-02, छौरादानों, पूर्वी चम्पारण	₹ 2,92,32,635/-
2	सर्वश्री सी0जी0 फूड्स (इंडिया) प्रा0 लि0, औद्योगिक विकास केन्द्र, मरंगा, पूर्णियाँ	₹ 15,30,905/-
3	सर्वश्री यूनिटॉप इन्टरनेशनल, ग्रा0-मस्तपुरा, बगदाहा, गया-डोभी रोड, बोधगया	₹ 2,10,000/-
4	सर्वश्री जेयपी प्लास्टिक इण्डस्ट्रीज, औद्योगिक क्षेत्र, मुजफ्फरपुर	₹ 3,30,000/-
	कुल	₹ 3,13,03,540/-
(कुल तीन करोड़ तेरह लाख तीन हजार पाँच सौ चालीस रूपए मात्र)		

(i) ईकाई न्यूनतम 5 वर्षों तक कार्यरत रहेगी। यदि 5 वर्षों के अंदर ईकाई बिना किसी औचित्य के बंद होती है तो भुगतान की गई राशि सूद समेत ईकाई से वसूल की जाएगी।

(ii) ईकाई द्वारा उपलब्ध कराए गए साक्ष्यों/ प्रमाण-पत्रों/ अभिलेखों के भविष्य में गलत पाए जाने एवं अनुदान की गणना में त्रुटि पाए जाने पर अनुदान की राशि वसूल कर ली जाएगी।

2. उक्त राशि का व्यय वहन उद्योग विभागीय राज्यादेश संख्या-2492, दिनांक-11.07.2016 एवं आवंटनादेश संख्या-41/आं0 दिनांक-19.07.2016 के आलोक में मांग संख्या-23 के अंतर्गत मुख्य शीर्ष-2852-उद्योग, उपमुख्य शीर्ष-80-सामान्य, लघु शीर्ष-102-औद्योगिक उत्पादकता, उपशीर्ष-0160-प्री-प्रोडक्शन एवं पोस्ट प्रोडक्शन सुविधाओं की योजना, विपत्र कोड- P2852801020160 राज्य योजना स्कीम कोड-IND-5432 विषय शीर्ष 33 01 सब्सिडी मद में आवंटित राशि से की जाएगी।

3. इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी सहायक उद्योग निदेशक (लेखा), उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना होंगे तथा नियंत्री पदाधिकारी, उद्योग निदेशक, बिहार, पटना होंगे।
4. इस राशि की निकासी नया सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से होगी।
5. इस राशि की निकासी "पूर्व प्राप्ति रसीद" पर कोषागार फार्म संख्या 25 पर की जाएगी।
6. इस राशि का भुगतान संबंधित ईकाइयों को RTGS/NEFT के माध्यम से की जाएगी।

ह0/-

उद्योग निदेशक,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक-.....

पटना, दिनांक.....

प्रतिलिपि:- कोषागार पदाधिकारी, नया सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

उद्योग निदेशक,
बिहार, पटना

ज्ञापांक- 4145

पटना, दिनांक 24.11.16

प्रतिलिपि:- वित्त विभाग, बिहार, पटना / योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, उद्योग मित्र, बिहार, पटना / सभी संबंधित महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र / कार्यकारी निदेशक, बियाडा, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- लेखा शाखा, उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना को दो प्रतियों में / प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-02, उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना / योजना शाखा, प्रशाखा-01 (सरकार) / आई0 टी0 प्रबंधक, उद्योग विभाग, बिहार, पटना / सभी संबंधित ईकाइयों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


उद्योग निदेशक,
बिहार, पटना